

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977
प्ररूप "क"
(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रेषक:

श्री / श्रीमती / कुमारी.....
.....

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर.

विषय:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की मंजूरी.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 6-क के शब्दों में मैं निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में, जिनमें मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, पेंशन के लिये हकदार हूँ

	निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक	से	तक
(एक)			
(दो)			
(तीन)			
(चार)			

.....
.....

2. निवेदन है कि मुझे पेंशन मंजूर करने के लिये कृपया कार्यवाही करें. मैं अपनी पेंशन सरकारी खजाना.....से लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों इसके साथ संलग्न करता हूँ/ करती हूँ.

(एक) तीन आदर्श हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियाँ.

4. मेरा वर्तमान पता.....
मेरा स्थायी पता.....है.

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

(एक) मैं भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद या किसी राज्य के राज्यपाल का पद या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं करता हूँ/नहीं करती हूँ;

(दो) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन, 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ;

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ या ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूँ;

(चार) X X X X X

(पांच) मैं.....का पद धारण करता हूँ/करती हूँ या मैं.....
का/की सदस्य हूँ या मैं.....में.....के
रूप में नियोजित हूँ और ऐसे पद के धारक के रूप में या ऐसा सदस्य होते हुए या ऐसे नियोजन
में होते हुए मेरे प्राप्त किया जाने वाला कुल पारिश्रमिक रु.....प्रतिमास है.

(सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये.)

भवदीय

()

नाम बड़े अक्षरों में

.....

स्थान.....

तारीख.....

मोबाइल नं.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
लेखा शाखा

क्रमांक...../वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन/

दिनांक.....201

उप महालेखाकार (निधि एवं पेंशन) कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइन्ट, रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

कार्यालय, महालेखापाल (लेखा)
छत्तीसगढ़

क्रमांक.....

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने
छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों तक कार्य किया है :

- (1)से.....तक
(2)से.....तक
(3)से.....तक

और यह कि उसे रुपये.....प्रति मास की पेंशन अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक...../सदस्य लेखा/पेंशन/

दिनांक.....201

रुपये(रुपये.....केवल) प्रतिमास पेंशन.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....को तारीख.....से मंजूर की जाती है.
पेंशन.....खजाना से देय होगी.

उप महालेखाकार (निधि एवं पेंशन) कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइन्ट, रायपुर (छ.ग.) को अग्रेषित.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977
प्ररूप "क"
(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रेषक:

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर.

विषय:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की मंजूरी.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 6-क के शब्दों में मैं निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में, जिनमें मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, पेंशन के लिये हकदार हूँ.

	निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक	से	तक
(एक)			
(दो)			
(तीन)			
(चार)			

.....
.....

2. निवेदन है कि मुझे पेंशन मंजूर करने के लिये कृपया कार्यवाही करें. मैं अपनी पेंशन सरकारी खजाना.....से लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों इसके साथ संलग्न करता हूँ/ करती हूँ.

(एक) तीन आदर्श हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियाँ.

4. मेरा वर्तमान पता.....
मेरा स्थायी पता..... है.

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

(एक) मैं भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद या किसी राज्य के राज्यपाल का पद या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं करता हूँ/नहीं करती हूँ;

(दो) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन, 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ;

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ या ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूँ;

(चार) X X X X X

(पांच) मैं.....का पद धारण करता हूँ/करती हूँ या मैं.....
का/की सदस्य हूँ या मैं.....में.....के
रूप में नियोजित हूँ और ऐसे पद के धारक के रूप में या ऐसा सदस्य होते हुए या ऐसे नियोजन
में होते हुए मेरे प्राप्त किया जाने वाला कुल पारिश्रमिक रु.....प्रतिमास है.

(सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये.)

भवदीय

()

नाम बड़े अक्षरों में

.....

स्थान.....

तारीख.....

मोबाइल नं.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
लेखा शाखा

क्रमांक...../वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन/

दिनांक.....201

उप महालेखाकार (निधि एवं पेंशन) कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइन्ट, रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

कार्यालय, महालेखापाल (लेखा)
छत्तीसगढ़

क्रमांक.....

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने
छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों तक कार्य किया है :

- (1)से.....तक
(2)से.....तक
(3)से.....तक

और यह कि उसे रुपये.....प्रति मास की पेंशन अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक...../सदस्य लेखा/पेंशन/

दिनांक.....201

रुपये(रुपये.....केवल) प्रतिमास पेंशन.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....को तारीख.....से मंजूर की जाती है.
पेंशन.....खजाना से देय होगी.

उप महालेखाकार (निधि एवं पेंशन) कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइन्ट, रायपुर (छ.ग.) को अग्रेषित.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977
प्ररूप "क"
(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रेषक:

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर.

विषय:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की मंजूरी.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 6-क के शब्दों में मैं निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में, जिनमें मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, पेंशन के लिये हकदार हूँ

	निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक	से	तक
(एक)			
(दो)			
(तीन)			
(चार)			

.....
.....

2. निवेदन है कि मुझे पेंशन मंजूर करने के लिये कृपया कार्यवाही करें. मैं अपनी पेंशन सरकारी खजाना.....से लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों इसके साथ संलग्न करता हूँ/ करती हूँ.

(एक) तीन आदर्श हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियाँ.

4. मेरा वर्तमान पता.....
मेरा स्थायी पता..... है.

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

(एक) मैं भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद या किसी राज्य के राज्यपाल का पद या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं करता हूँ/नहीं करती हूँ;

(दो) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन, 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद का/की सदस्य नहीं हूँ;

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ या ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूँ;

(चार) X X X X X

(पांच) मैं.....का पद धारण करता हूँ/करती हूँ या मैं.....
का/की सदस्य हूँ या मैं.....में.....के
रूप में नियोजित हूँ और ऐसे पद के धारक के रूप में या ऐसा सदस्य होते हुए या ऐसे नियोजन में होते हुए मेरे प्राप्त किया जाने वाला कुल पारिश्रमिक रु.....प्रतिमास है.

(सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये.)

भवदीय

()

नाम बड़े अक्षरों में

.....

स्थान.....

तारीख.....

मोबाइल नं.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
लेखा शाखा

क्रमांक...../वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन/

दिनांक.....201

उप महालेखाकार (निधि एवं पेंशन) कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइन्ट, रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

कार्यालय, महालेखापाल (लेखा)
छत्तीसगढ़

क्रमांक.....

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने
छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों तक कार्य किया है :

- (1)से.....तक
(2)से.....तक
(3)से.....तक

और यह कि उसे रुपये.....प्रति मास की पेंशन अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक...../सदस्य लेखा/पेंशन/

दिनांक.....201

रुपये(रुपये.....केवल) प्रतिमास पेंशन.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....को तारीख.....से मंजूर की जाती है.
पेंशन.....खजाना से देय होगी.

उप महालेखाकार (निधि एवं पेंशन) कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइन्ट, रायपुर (छ.ग.) को अग्रेषित.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,

तीन आदर्श हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

3. _____

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर

विषय:- स्थायी फोटोयुक्त परिचय-पत्र उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि निम्नांकित विवरण अनुसार मेरा परिचय-पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. पूर्व सदस्य का नाम (हिन्दी में) : _____
अंग्रेजी (Capital letter) में : _____
2. क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक(हिन्दी में) : _____
अंग्रेजी (Capital letter) में : _____
3. विधान सभा कालावधि : _____
4. रक्त समूह : _____
5. स्थायी पता : _____

भवदीय

रायपुर
दिनांक:

(हस्ताक्षर)
पूर्व सदस्य विधान सभा
क्षेत्र क्रमांक _____
मोबाइल नं. _____